

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215375
CG-DL-E-13012020-215375

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]
No. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली 9 जनवरी, 2020

का.आ. 165(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के जोरहाट जिले में NH37 के कि.मी. 453 से कि.मी.487 (ऑफिस ऑफ़ डिप्टी कमिश्नर , जोरहाट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 3 सितम्बर, 2015 को "दैनिक भास्कर सागर" और "हितवाद सागर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

असम राज्य के जोरहाट जिले में NH37 के कि.मी. 453 से कि.मी.487 (ऑफिस ऑफ़ डिप्टी कमिश्नर, जोरहाट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य क नाम: असम		जिले का नाम: जोरहाट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: टोक				
	गांव का नाम: चांगमई गांव				
1	13 / 1	निजी	टी गार्डन	0.0133	1. झांझी चाय कंपनी लिमिटेड, 2. नबीन च। बोरदोलोई एस / ओ तितरम, 3. बेन च। दत्ता एस / ओ भबानाथ, 4. बोलोरम साहू एस / ओ मोनी साहू, 5. देउराम साहू एस / ओ धीरुआ, 6. जुगेन्द्र नाथ सैकिया एस / ओ कोनलोरा, 7. जगदीश एस / ओ मोहादाब, 8. उरांव भौमजी एस / ओ सोकोला, 9. देउराम तेली एस / ओ धेर, 10. बोलोरम साहू एस / ओ मोनी, 11. मोइना भूमिज एस / ओ कुडाला, 12. लेख साहू एस / ओ सेतु, 13. कामेश कोहर एस / ओ टेसू ()
2	25 / 53	निजी	कल्टिवेटेड	0.04	१. बोगी राजोवर, २. पति राजभर / ओ भारत, ३. सिकेश्वरी राजोवर s / o सिबा, ४. काकोनी राजवार s / o सोनुआ ()

3	65 / 45	निजी	कल्टिवेटेड	0.08	1. रोबिन चौ। बोरा एस / ओ भुवन, 2. जोगेंद्र नाथ सैकिया एस / ओ कॉमोइना, 3. प्रोफुल्ला सैकिया एस / ओ टंकेश्वर, 4. अजोनी बेगम डब्ल्यू / ओ कोन अली, 5. मुहिबुल खान, 6. सुखत, 7. बाबुल, 8। साहिदा बेगम, 9. जरत खान, 10. बदन खान एस / ओ कोन अली ()
4	68 / 192	निजी	बस्ती	0.024	1. जोबरात खान, 2. मुज़ीरत खान एस / ओ कोटिलोखान ()
5	80 / 57	निजी	बस्ती	0.0133	1. बिजॉय सैकिया, 2. भवन सैकिया एस / ओ रामपद, 3. मोइना खान, 4. अमिरत खान एस / ओ मोनिरत, 5. अनीता बरुआ डब्ल्यू / ओ प्रफुल्ल सैकिया, 6. प्रांजल काकोटी एस / ओ ट्रिलुक्का ()
6	83 / 20	निजी	कल्टिवेटेड	0.052	श्री प्रताप सैकिया S/ो लखेश्वर २ श्री दुर्गा प्रसाद रगों S/ो मोतीराम (८३ / २०)
7	86 / 20	निजी	कल्टिवेटेड	0.0787	१ ाक़ों अली खान S/ो बोगी २ संती संध्या देबि बरुआ W/ो सोनाराम (८६ / २०)
गांव का नाम: जहाखात गांव					
8	46 / 43	निजी	कल्टिवेटेड	0.0333	1. रेमन बरुआ एस / ओ तेपुरम, 2. नॉरेन बरुआ, 3. नोजेन, 4. रेमेन एस / ओ भीमकांता, 5. प्रकाश बरुआ एस / ओ फणीधर, 6. स्मृति नीरा बरुआ डब्ल्यू / ओ फणीधर ()
9	74 / 454 / 101	निजी	कल्टिवेटेड	0.0587	1. सरफान हक़, 2. दलीलुर्रहमान, 3. नेकीबुर रहमान, 4. मकीबुर रहमान, 5. रफीकुल रहमान एस / ओ लेट सैमसन ()
			कुल	0.3933	

[फा.सं. 91/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

Notification

New Delhi, the 9th January, 2020

S.O. 165 (E). —Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH37 on the stretch of land from Km 453 to Km 487 (OFFICE OF DEPUTY COMMISSIONER JORHAT) in the district of JORHAT in the state of ASSAM

And whereas the substance of the said notification has been published in “NewsPaper Name1” and “Newspaper Name2” both dated Newspaper Date; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH37 in the stretch of land from km. 453 to km. 487 (OFFICE OF DEPUTY COMMISSIONER JORHAT) in the district of JORHAT in the state of ASSAM

State: ASSAM District: JORHAT					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Teok				
	Viilage: Changmai Gaon				
1	13 / 1	Private	tea Garden	0.0133	1. Jhanji Tea Co. Ltd., 2. Nabin Ch. Bordoloi S/o Titaram, 3. Deben Ch. Dutta S/o Bhabanath, 4. Boloram Sahu S/o Moni Sahu, 5. Deuram Sahu S/o Dhirua, 6. Jugendra Nath Saikia S/o Konlora, 7. Jagadish S/o Mohadeb, 8. Uran Bhumji S/o Sokola, 9. Deuram Teli S/o Dher, 10. Boloram Sahu S/o Moni, 11. Moina Bhumij S/o Kudala, 12. Lekha Sahu S/o Setu, 13. Kameswar Kohar S/o Tesu
2	25 / 53	Private	Cultivated	0.04	1. Bogi Rajowar, 2. Dipti Rajowar s/o Bharat, 3. Rikheswari Rajowar s/o Siba, 4. Kekoni Rajowar s/o Sonua
3	65 / 45	Private	Cultivated	0.08	1. Robin Ch. Bora s/o Bhuban, 2. Jogendra Nath Saikia s/o Konmoina, 3. Profulla Saikia s/o Tankeswar, 4. Aijoni Begum w/o Kon Ali,

					5.Muhibul Khan, 6.Soukhat, 7. Babul, 8. Sahida Begum, 9.Pejarat Khan, 10. Badhon Khan s/o Kon Ali
4	68 / 192	Private	Basti	0.024	1.Jobarat Khan, 2. Mujirat Khan S/o Kontilokhan
5	80 / 57	Private	Basti	0.0133	1. Bijoy Saikia, 2.Bhuban Saikia S/o Rampad, 3.Moina Khan, 4. Amirat Khan S/o Monirat, 5. Anita Barua W/o Prafulla Saikia, 6. Pranjali Kakoti S/o Troilukka
6	83 / 20	Private	Cultivated	0.052	shri pratap saikia S/O lakheswar 2 shri durga prasad regon S/O motiram 83/20
7	86 / 20	Private	Cultivated	0.0787	1 Akon Ali Khan S/O Bogai 2 Smti Sandhya Debi Barua W/O Sonaram 86 /20
Village: Jahakhat Gaon					
8	46 / 43	Private	Cultivated	0.0333	1. Romen Barua S/o Tepuram, 2. Noren Barua, 3.Nogen, 4. Romen s/o Bhimkanta, 5.Prakash Barua s/o Phanidhar, 6.Smti Nira Barua w/o Phanidhar
9	74 / 454 / 101	Private	Cultivated	0.0587	1.Sarifur Haque, 2. Dalilur Rahman, 3. Nekibur Rahman, 4.Mukibur Rahman, 5.Rafikul Rahman S/o Late Samsed
			TOTAL	0.3933	

[F. No. 91/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.